न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 27/2016

अपीलांट

1. स्व.कासूराम पुत्र आसाराम के कायम मुकाम
   1/1 रतनाराम पुत्र कासूराम
   1/2 हरीराम पुत्र कासूराम
   1/3 जगमालराम पुत्र कासूराम
   1/4 रूगनाथराम पुत्र कासूराम
   1/5 विजयचंदन पुत्र कासूराम
   1/6 मोहनलाल पुत्र कासूराम
2. किसनाराम पुत्र जीवाराम
3. भैराराम पुत्र जीवाराम
4. बबूलाल पुत्र जीवाराम
5. जगदीश पुत्र जीवाराम
6. शांति पत्नी जीवाराम
7. विरधाराम पुत्र आसाराम जाति बिश्नोई निवासी उदाणियो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटस

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. नारणाराम पुत्र मंगलाराम
3. साजनराम पुत्र मंगलाराम
4. लालाराम पुत्र मंगलाराम जाति विश्नोई निवासी उदाणियो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 20.7.2007 जो तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मौजा उदाणियो की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 151 पर पारित किया गया।

उपस्थित– 1. अपीलांटस की ओर से श्री गंगाराम विश्नोई अधिवक्ता।
2. रेस्पोंडेंट सं. 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 02 से 4 की ओर से श्री महेन्द्र जोशी अधिवक्ता

<u>निर्णय</u> **दिनांक 19.4.2017**

1. संक्षेप में अपीलांटस की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा उदाणियो की ढाणी में अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 2 से 4 का संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नंबर 1328 रकबा 177 बीघा आया हुआ है। जिसमें जिस स्थान पर रास्ता आवागमन हेतु

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

काम में लिया जा रहा था वह भूमि राज्य सकरार को समर्पण की गई एवं समर्पण आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शे में उसी स्थान को आधार मानकर लाल स्याही से समर्पण की जा रही भूमि को रेखांकित किया गया था। हल्का पटवारी द्वारा खसरा नंबर 1326 रकबा 177 बीघा मे से संमर्पण की गई भूमि कां रकबा विभाजन व समर्पित 10 विस्वा भूमि को कम करते हुए नामान्तरकरण भरकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। हल्का पटवारी द्वारा आवागमन हेतु प्रचलित रास्ते को आधार मानकर पेमाईश नहीं कर, मनमाने ढंग से रकबा विभाजन एवं रेकर्ड में अमलदरामद करने हेतु पेश किया। भूअभिलेख निरीक्षक ने बिना जांच किये एवं वास्तविक स्थिति का निरीक्षण किये बिना अपनी टिप्पणी अंकित कर अधीनस्थ न्यायालय से नामान्तरकरण पारित करवा लिया। इस आदेश से व्यथीत होकर अपीलांटस ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांटस ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये। रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक एवं रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 की ओर से श्री महेन्द्र जोशी अधिवक्ता उपस्थित हुए।
3. रेस्पोडेंट सख्या 2 से 4 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 24.01.2017 को इकबालिया जवाब पेश किया गया।
4. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि मौजा उदाणियो की ढाणी के खसरा नंबर 1326 की भूमि का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार विभाजन किया जाता है तो रास्ता खसरा नंबर 1326/1 रकबा 10 विस्वा की वास्तविक स्थिति में परिवर्तन हो जाता हैं क्योंकि रास्ता का खसरा राज्य सकरार के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपीलांटस को सरकारी भूमि पर अतिक्रमी मान लिया जावेगा तथा वर्तमान में जिस भूमि पर विद्यमान मुरडा रास्ते का उपयोग हो रहा है वह भूमि अनुपयोगी रह जायेगी। पक्षकारान द्वारा किये गये समर्पण व नक्शे में लाल स्याही से दर्शाई गई भूमि से इतर भूमि पर की जा रही तरमीम की कार्यवाही उचित नहीं है एवं पक्षकारान के हितो के सर्वथा प्रतिकूल है।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

वर्तमान में विद्यमान रास्ते को आधार मानते हुए खसरो का विभाजन किये जाने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें।

5. रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क हैं कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 151 दिनांक 20.7.2007 को अपास्त किया जाकर खसरा नंबर 1326 रकबा 177 बीघा मौजा उदाणियो की ढाणी में से 10 विस्वा रास्ते हेतु पक्षकारो द्वारा समर्पित भूमि की तरमीम नक्शे एवं वर्तमान समय में उपयोग में लिये जा रहे मुरड़िया रास्ते को आधार मानते हुए खसरा विभाजन की कार्यवाही किये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ती नहीं है।

6. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मौजा उदाणियो की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 151 पर पारित आदेश दिनांक 20.7.2007 के विरूद्व धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की है। तहसीलदार गुड़ामालानी ने पक्षकारान द्वारा समर्पित की गई भूमि के संबंध में बिना जांच करवाये नामान्तरकण संख्या 151 दिनांक 20.7.2007 पारित किया गया है, जिसके कारण पक्षकारान के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.1.2007 अपास्त किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की अपील को स्वीकार करते हुए नामान्तरकरण संख्या 151 दिनांक 20.7.2007 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी को प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि खसरा नंबर 1326 रकबा 170 बीघा मौजा उदाणियो की ढाणी में किए गए समर्पण व वक्त समर्पण दर्शाई गई रास्ते की मौका स्थिति की जांच कर सही तरमीम राजस्व रिकार्ड में की जाकर पालना से अवगत कराऐं।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 19.4.2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)